न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)
दावा संख्या :: 127/2014

1. मु. पसमा बाई पति स्व. कंवरा जी जाति गंवार निवासी नाथूरामजी का खेड़ा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. कमलेश पिता स्व. कंवरा जाति गंवार निवासी नाथूरामजी का खेड़ा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

.....वादीया

बनाम

1. मथरा पिता हरिया जी जाति गंवार निवासी नाथूरामजी का खेड़ा तह. बेगूँ।
2. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ जिला चितौडगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ राजस्थान। .... प्रतिवादीगण

उपस्थितः श्री के.सी. धाकड़
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :: 26.04.2017

निर्णय दावा अ0धा0 88–183 आर.टी.एक्ट

वादीगण की ओर से वाद पत्र अ0धा0 88–183 आर.टी.एक्ट का अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत अधिवक्ता श्री के.सी. धाकड़ द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम नाथूराम जी का खेड़ा पटवार हल्का सुवाणिया तहसील बेगूँ में वादीगण के खातेदारी की खसरा संख्या 346/19 क्षेत्रफल 0.3240 हैक्टर भूमि स्थित है वादी संख्या एक विधवा है एवं वादी संख्या दो कमलेश नाबालिग था जो अब बालिग हो चुका है।

वादी संख्या एक का प्रति व वादी संख्या दो के पिता कंवरा का निधन हो जाने के कारण प्रतिवादी मथरा पिता हरिया गंवार जो कि वादी संख्या एक का देवर एवं वादी संख्या दो का काका लगता है के मन में बदनीयत आ जाने से प्रतिवादी संख्या एक ने गतवर्ष दिनांक 17/06/2013 को भूमि पर कब्जा कर लिया एवं दोनों ही वादीगण को भूमि से जबरन बेदखल कर दिया।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या दो रिश्तेदार होने एवं भाईबंध होने के कारण काफी समझाइश के प्रयास किये, लेकिन वह नहीं माना और भूमि का कब्जा वापस सुपुर्द नहीं किया, इसलिए वादीगण की ओर से यह वादपत्र भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत है तथा वादी संख्या 2 बालिग हो चुका है इसलिए उसको बालिग घोषित कर खाते में अंकित करने हेतु भी वाद पेश है।

वादग्रस्त भूमि में प्रतिवर्ष 20,000 रुपये अक्षरे बीस हजार रुपये की फसल पैदा होती है जिसका वादीगण को सीधा–सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है एवं कानूनी क्षति भी हो रही है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिये जाने के कारण वादीगण, प्रतिवादी मथरालाल से 20,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अंतरवर्ती लाभ (मीन–प्रोफिट) राशि प्राप्त करने का वैध एवं कानूनी रूप से अधिकारी है।

वाद कारण दिनांक 17/06/2013 को वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक द्वारा कब्जा कर दोनों ही वादीगण को भूमि से जबरन बेदखल कर दिये जाने एवं काफी समझाइश के प्रयास किये जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा भूमि का कब्जा वापस वादीगण को सुपुर्द नहीं किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते हैं कि :–

1. ग्राम नाथूरामजी का खेड़ा पटवार हल्का सुवाणिया में स्थित आराजी संख्या 346/19 क्षेत्रफल 0.3240 हैक्टर भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या एक से वादीगण को दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे तथा वादी संख्या 2 को बालिग घोषित किये जाने की भी आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे।
2. वादीगण को 17/06/2013 से वादग्रस्त भूमि कब्जा सुपुर्द किये जाने तक 20,000 रुपये अक्षरे बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से भूमि का अन्तवर्ती लाभ (मीन प्रोफिट) राशि भी दिलायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।
3. अंतर्गत धारा 209 रा.टी. एक्ट के तहत अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादीगण हो वह भी दिलाया जावे।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया, पत्रावली में प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 11.05.2015 को दिए गये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के पश्चात वादीया की ओर से साक्ष्य वादीया में शपथ पत्र वादीया मु0 पासमाबाई ,गवाह कमलेश के प्रस्तुत करते हुए वादीया मु0पसमाबाई द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी को प्रदर्श– 1 करा अपने बयान कलमबद्ध कराये गए । प्रकरण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा का होने से प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया , जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र अनुसार करते हुए वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार होने एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा किये जाने से उनको बेदखल करा कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किये जाने तथा प्रतिवादी सं. 1 का वर्ष 2013 से कब्जा काश्त होने से मिनप्रोफिट की राशि प्रदान कराने तथा वादी सं. 2 कमलेश के बालिग होने की घोषणा किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया ।

पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी एवं जिला बोर्ड प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा का वर्ष 2006 जो कि वादी सं.2 कमलेश के नाम पर है में अंकित कमलेश की जन्म तारीख का

अवलोकन किया गया । मौजा नाथूराम जी का खेडा प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 346/19 रकबा 0.3240 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदार है, यदि किसी खातेदार काश्तकार की भूमि पर कोई अजनबी व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता है तो उसके बेदखल कराने व पुनः कब्जा सिपुर्द कराने का अधिकार खातेदार को प्राप्त है । साथ ही पत्रावली मे प्रस्तुत नकल अंकसूची जो कि वादी सं. 2 कमलेश के नाम पर जारी है ,में कमलेश की जन्म तारीख 5.10.1993 अंकित है जिससे कमलेश वर्ष 2011 में बालिग हो जाते है । जहॉ तक मिनप्रोफिट वादीगण को दिलाये जाने का प्रश्न है , इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई ऐसा ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो कि यह सिद्ध कर सके कि प्रतिवादी सं. 1 का वर्ष 2013 से जबरन कब्जा काश्त हो ,ना ही कोई स्वतंत्र गवाह वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए है ।

दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 88–183 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है । दावा डिकी किया जाता है, तथा आदेश दिये जाते है कि मौजा नाथूराम जी का खेडा प0ह0 सुवानियॉ की आराजी संख्या 346/19 रकबा 0.3240 हैक्टर भूमि जो वादीगण के खातेदारी की भूमि है से प्रतिवादी सं0 1 मथरा पिता हरिया गंवार निवासी नाथूराम जी के कब्जा को हटाया जाकर उन्हें वादीगण की खातेदारी की आराजी से बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किया जावें । वादी सं. 2 कमलेश पिता कंवारा जो कि वर्तमान जमाबंदी सं0 2072 से 75 में नाबालिग दर्ज है को बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है । दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मिनप्रोफिट वादीगण को दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ